

न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 115/2015 (2015/00251)

दायर तारीख 14.09.2015

अनवान

1. अम्बालाल आत्मज नारु जाट
 2. शिवलाल आत्मज नारु जाट
- सर्व निवासी कांगणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—वादीगण

बनाम

1. धन्ना आत्मज गणेश जाट
 2. बद्रीलाल आत्मज गणेश जाट
 3. माधु आत्मज गणेश जाट
 4. मु0 तुलछी वेवा चेना जाट
 5. जीतु आत्मज नाथु जाट
 6. मु0 नोसर पुत्री नाथु जाट
 7. मु0 बदामी पुत्री नाथु जाट
 8. मु0 शांति पुत्री नाथु जाट
- सर्व निवासी कांगणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
9. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा बजरिये शाखा प्रबंधक।
 10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0गंगापुर जिला भीलवाड़ा

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :- श्री रितेश सुराणा, अधिवक्ता वादीगण
श्री एम0एल0 बापना (प्रतिवादी सं0 1, 3)
पेरोकार सरकार

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 का0 अधिनियम ::

—: निर्णय :-

दिनांक :- 25.09.2020

संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद नियमित सुनवाई दिनांक 21.05.2016 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम कांगणी पटवार हल्का कांगणी तह0 सहाड़ा के बेरुन हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत आठ के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी नं0 572 रकबा 0.15 हे0, 573 रकबा 0.15 हे0, 587 रकबा 0.23 हे0, 1539 रकबा 0.65 हे0, 1540 रकबा 1.24 हे0, 1791 रकबा 0.46 हे0, 1792 रकबा 0.47 हे0, 1971 रकबा 0.25 हे0, 1972 रकबा 0.25 हे0, 1973 रकबा 0.10 हे0, 2137 रकबा 0.20 हे0, 2138 रकबा 0.13 हे0, 2144 रकबा 0.58 हे0, 2145 रकबा 0.43 हे0, 2147 रकबा 0.99 हे0, 2152 रकबा 0.35 हे0, 2153 रकबा 0.25 हे0, 2180 रकबा 0.33 हे0, 2181 रकबा 0.16 हे0, 2182 रकबा 0.16 हे0 कुल किता 20 कुल रकबा 7.53 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 160 (जमाबंदी संवत् 2070 से 2073) पर स्थित भूमि का विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार करने आदेश दिये जाकर प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसील सहाड़ा से तलब किया गया। तहसीलदार सहाड़ा ने अपने पत्रांक/30 दिनांक 20.09.2016 को प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

1.

ग्राम कांगणी पटवार हल्का कांगणी तह0 सहाडा के बेरून हल्का आवादी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत आठ के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजी नं0 572 रकबा 0.15 हे0, 573 रकबा 0.15 हे0, 587 रकबा 0.23 हे0, 1539 रकबा 0.65 हे0, 1540 रकबा 1.24 हे0, 1791 रकबा 0.46 हे0, 1792 रकबा 0.47 हे0, 1971 रकबा 0.25 हे0, 1972 रकबा 0.25 हे0, 1973 रकबा 0.10 हे0, 2137 रकबा 0.20 हे0, 2138 रकबा 0.13 हे0, 2144 रकबा 0.58 हे0, 2145 रकबा 0.43 हे0, 2147 रकबा 0.99 हे0, 2152 रकबा 0.35 हे0, 2153 रकबा 0.25 हे0, 2180 रकबा 0.33 हे0, 2181 रकबा 0.16 हे0, 2182 रकबा 0.16 हे0 कुल किता 20 कुल रकबा 7.53 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 160 (जमाबंदी संवत् 2070 से 2073) पर स्थित का विभाजन चाहने से तहसीलदार द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 03.02.2017 को आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण ने ग्राम कांगणी के खाता संख्या 153 में वर्णित कृषि आराजियात में अपना 1/6 हिस्सा गलत दर्ज हो जाने का फायदा उठा कर बटवारे हेतु वाद प्रस्तुत किया है जबकि उक्त वर्णित आराजियात में वादीगण के पिता नारु जी का 1/9 हिस्सा राजस्व जमाबंदी संवत् 210 में दर्ज रेकार्ड था इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता गणेश का 5/9 हिस्सा दर्ज रेकार्ड था लेकिन दौराने एकीकरण गलत हिस्सा दर्ज हो गया जिसकी दुरुस्ती हेतु प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 ने अलग से वादपत्र प्रस्तुत कर दिया है इसलिये जबतक वादीगण एवं प्रतिवादीगण का सही हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं हो जाता तबतक मौजूदा वाद की कार्यवाही को स्थगित किया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि उक्त प्रकरण की कार्यवाही को स्थगित फरमाया जावें।

जिस पर जवाब वादीगण अधिवक्ता द्वारा दिनांक 10.01.2020 को पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में जंहा तक प्रतिवादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत करने का तथ्य अंकित है वावत् आपत्ति नहीं है शेष चरण गलत होने से स्वीकार नहीं है। वादवर्णित आराजियात में वादीगण का सही रूप से हिस्सा दर्ज है तथा हिस्सा सही रूप से होने से ही प्रतिवादी ने वादी द्वारा मांगे गये विभाजन में अपनी सहमति दिनांक 21.05.2016 को दी है। जिसके आधार पर ही प्रारम्भिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्तावत मंगवाया गया है असौ प्रतिवादी द्वारा एकवार तथ्य स्वीकृत कर लिये जाने से यह अब उससे मुकर नहीं सकता है और उस पर विबन्ध का सिद्धान्त लागु होता है। तथ प्रतिवादी ने इसमें सही तथ्य छीपाकर गलत तथ्य अंकित कर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि वास्तविक स्थिति अनुसार वादीगण का वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्सा कांगणी के एकीकरण से पूर्व ही जमाबंदी संवत् 2010 - 2013 के अनुसार ही है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमा प्रकरण की कार्यवाही हो आगे बढ़ाते हुए विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिक्री पारित फरमायी जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रा0 पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या एक के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह निवेदन किया प्रतिवादीगण ने हिस्सा दुरुस्ती हेतु 88 का दावा विचाराधीन है तब तक प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रकरण की कार्यवाही को स्थगित फरमाया जावें।

वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस जवाब को दोहराया तथा बताया कि वास्तविक स्थिति अनुसार वादीगण का वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्सा कांगणी के एकीकरण से पूर्व ही जमाबंदी संवत् 2010 - 2013 के अनुसार ही है। जिसमें एकीकरण में सभी पूर्वजों ने सहमती दी है जिसके वाद ये दावा पेश किया है ता उक्त 53 का दावा यह पूर्व से ही लम्बित है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या एक का आपत्ति प्रा0पत्र खारिज फरमाया जावें।

सहायक कलेक्टर
(समरसंगड अधिकारी)
समरसंगड जिला श्रीजयपुरा (सिन्धु)

वाद उभयपक्ष बहस के आपत्ति प्रार्थना पत्र व उस पर जवाब का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे प्रतीत होता है वादीगण का वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्सा कांगणी के एकीकरण से पूर्व ही जमाबंदी सवन्त 2010 - 2013 के अनुसार ही है। जिसमें एकीकरण में सभी पूर्वजों ने सहमती दे रखी है अतः प्रतिवादी संख्या 1 का आपत्ति प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतः वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे०)
1	2	3	4	5
1	अम्बालाल शिवलाल पिता नारू जाट सा० देह खातेदार	कांगणी (खाता संख्या 160)	587 1792 2147/9	0.23 0.47 0.56
		योग	3	1.26
			572	0.15
			573	0.15
			1539	0.65
			1540	1.24
			1791	0.46
			1971	0.25
			1972	0.25
2	धन्ना बद्रीलाल माधू पिता गणेश 3/5 जीतु नोसर बदामी शांति पिता नाथू 2/5 जाट सा० देह खातेदार रहन:- वी०ओ०वी० शाखा सहाड़ा हि० धन्ना पर रहन:- वी०ओ०वी० शाखा सहाड़ा हि० माधू पर	कांगणी (खाता संख्या 160)	1973 2137 2138 2144 2145 2147/2 2152 2153 2180	0.10 0.20 0.13 0.58 0.43 0.43 0.35 0.25 0.33

सिंहविक्रम कौशिक
सिंहविक्रम कौशिक
सिंहविक्रम कौशिक

		2181	0.16
		2182 च	0.16
	योग	18	6.27

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

(विक्रम पंचोली) लवटर
सहायक कलक्टर (पंवेनारी)
उपखण्ड अधिकारी गंगापूर (राज.)
गंगापूर जिला भीलवाड़ा



निर्णय आज दिनांक 28.09.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विक्रम पंचोली) लवटर
सहायक कलक्टर (पंवेनारी)
उपखण्ड अधिकारी गंगापूर (राज.)
गंगापूर जिला भीलवाड़ा 4
गंगापूर जिला

अनवान

1. अम्बालाल आत्मज नारु जाट
 2. शिवलाल आत्मज नारु जाट
- सर्व निवासी कांगणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—वादीगण

बनाम

1. धन्ना आत्मज गणेश जाट
 2. बद्रीलाल आत्मज गणेश जाट
 3. माधु आत्मज गणेश जाट
 4. मु० तुलछी बेवा चेना जाट
 5. जीतु आत्मज नाथु जाट
 6. मु० नोसर पुत्री नाथु जाट
 7. मु० बदामी पुत्री नाथु जाट
 8. मु० शांति पुत्री नाथु जाट
- सर्व निवासी कांगणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
9. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा वजरिये शाखा प्रबंधक।
 10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु०गंगापूर जिला भीलवाड़ा

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :- श्री रितेश सुराणा, अधिवक्ता वादीगण
श्री एम०एल० बापना (प्रतिवादी सं० 1, 3)
पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक : 28.09.2020

डिक्री दिनांक : 28.09.2020

यह मुकदमा आज वारते इनफिसल कतई रूबरु न्यायालय उपखण्ड न्यायालय गंगापूर बहाजरी अधिवक्ता वादीगण श्री रितेश सुराणा, अधिवक्ता अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री एम०एल० बापना व पैरोकार सरकार हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :-

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे०)
1	2	3	4	5
1	अम्बालाल शिवलाल पिता नारु जाट सा० देह खातेदार	कांगणी (खाता संख्या 160)	587 1792 2147/9	0.23 0.47 0.56
		योग	3	1.26
2	धन्ना बद्रीलाल माधू पिता गणेश 3/5 जीतु नोसर बदामी शांति पिता नाथू 2/5 जाट सा० देह खातेदार रहन:- वी०ओ०बी० शाखा सहाड़ा हि० धन्ना पर रहन:- वी०ओ०बी० शाखा सहाड़ा हि० माधू पर	कांगणी (खाता संख्या 160)	572 573 1539 1540 1791 1971	0.15 0.15 0.65 1.24 0.46 0.25


सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
(गंगापूर, जिला भीलवाड़ा)

		1972	0.25
		1973	0.10
		2137	0.20
		2138	0.13
		2144	0.58
		2145	0.43
		2147/2	0.43
		2152	0.35
		2153	0.25
		2180	0.33
		2181	0.16
		2182	0.16
		योग	18
			6.27

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाडा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।


नीज Nil मुबलिया Nil बावत् Nil खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nil फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक Nil का अदा करे।

वशब्द मेरे दस्ताखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.09.2020 को जारी किया गया।


 सहायक क्लर्क (राज.)
 उपखण्ड अधिकारी
 गंगोपुर जिला भीलवाड़ा

मुद	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	-		स्टाम्प अरजीदया	-	
स्टाम्प वकीलात नामा	-		स्टाम्प वकीलात नामा	-	
स्टाम्प वजह सबूत	-		स्टाम्प वजह सबूत	-	
महनताना वकील ()	-		महनताना वकील ()	-	
खर्चा गवाह	-		खर्चा गवाह	-	
फीस कमीशनर	-		फीस कमीशनर	-	
बावत् इजराय हुक्मनामा	-		बावत् इजराय हुक्मनामा	-	
गुनफरिक	-		गुनफरिक	-	
मीजान	-		मीजान	-	




 सहायक क्लर्क (राज.)
 उपखण्ड अधिकारी गंगोपुर (राज.)